


विषय:-

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमानजी - ग्राम सूरवास की ख.नं. 21 एवं ख.नं. 37 की मूल शीट से नक्शा तस्मीम करते समय अतिरिक्त एक-दूसरे की जगह पर है ग्राम, जिन्हे बूट्टा किमा जाना उचित है।


प. ह. गोपालपुरा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी गोपालपुरा अनुसार उकागार ग्राम
ग्राम सूरवास ख.नं. 21 व 37 की उरली शिजानी उचित है।

तहसीलदार(मु.अ.)
सुजानगढ़(चूरु)

प्रक्र.सं.: 07/2026

आदेश

निर्णय दिनांक: 19-1-26

तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंखा व संबन्धन दस्तखतों के आधार पर शैली सूरवास तहसील सुजानगढ़ के ग्राम ख.नं. 21 व ख.नं. 37 की तस्मीम मुताबिक नक्शा-बूट्टा मूल शीट किया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़



उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़